क्रमांक 1377 दि 22-2-19

रूप क्रमांक 4
(देखिये नियम 12)

मध्यप्रदेश शासन

समिति का पंजीयन प्रमाण पत्र

क्रमांक 19192 दिनांक 23-12-1987

यह प्रमाणित किया जाता है कि पंजीयत समिति "ज्ञानोदय शिक्षा समिति, 25 नया बाजार, नीमच जिला नीमच में अपना नाम परिवर्तित कर लिया है और अब वह "ज्ञानोदय शिक्षण समिति, ग्राम कनावटी तहसील नीमच जिला नीमच नाम से मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,1973 (सन् 1973 का क्रमांक 44) की धारा 13 की उप-धारा (2) के अधीन पंजीयित की गई है ।

दिनांक इक्कीस माह फरवरी सन् 2019

समितियों के रजिस्ट्रार
(दौलतराम सेहरिया)
प्रभारी सहायक पंजीयक
फर्म्स एवं संस्थाएं उज्जैन संभाग, उज्जैन

19/01/26
Principal
Gyanodaya International School
Kanawati, Neemuch (M.P.)

कार्यालय सहायक पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं उज्जैन संभाग,उज्जैन
प्रशासनिक भवन, उ. वि. प्राधि., ब्लाक–सी,तृतीय मंजिल,भरतपुरी,उज्जैन

क्रमांक / संशोधन / 160 / / 377 / 18 उज्जैन, दिनांक 22-2-19

प्रति,

अध्यक्ष / सचिव
ज्ञानोदय शिक्षण समिति
ग्राम कनावटी, नीमच
जिला नीमच (म.प्र.)

विषयः—संस्था के ज्ञापन / नियमावली में संशोधनों का रजिस्ट्रीकरण ।
संदर्भः—आपका प्रस्ताव प्राप्त दिनांक 15 / 02 / 2019

संस्था ज्ञानोदय शिक्षा समिति, 25, नया बाजार नीमच जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 19192 दिनांक 23 / 12 / 1987 पर पंजीकृत है। जिस पर मध्य प्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (संशोधित 1998) के समस्त प्रावधान प्रभावशील है ।

संस्था द्वारा नाम ज्ञानोदय शिक्षण समिति, ग्राम कनावटी नीमच जिला नीमच में संशोधन किया गया है। संदर्भित पत्र के साथ प्रस्तुत संशोधित ज्ञापन एवं नियामवली में संशोधन का आज दिनांक 21 / 02 / 2019 को रजिस्ट्रीकरण किया जाता है ।

कृपया संशोधित ज्ञापन / नियमावली के प्रावधानों का कठोरता से पालन करें ।

(दौलतराम सेहरिया)
प्रभारी सहायक पंजीयक
फर्म्स एवं संस्थाऐं उज्जैन संभाग, उज्जैन

19/05/26
Principal
Gyanodaya International School
Kanawati, Neemuch (M.P.)

जावक क्रं. 737 दि. 18-6-2007

ज्ञानोदय शिक्षा समिति की संशोधित नियमावली

१	संस्था का नाम	:	ज्ञानोदय शिक्षा समिति, नीमच
२	संस्था का कार्यालय	:	२५, नयाबाजार, नीमच मकान नम्बर..... मोहल्ला का नाम—लक्ष्मीबाई मार्ग, नीमच तहसील—नीमच, जिला—मंदसौर (म.प्र.)
३.	संस्था का कार्यक्षेत्र	:	नीमच, मंदसौर जिला मध्यप्रदेश होगा।

४. समिति के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे।

१. शिक्षा का प्रसार करना।

नवीन शिक्षा प्रणाली के आधार पर बाल मंदिर एवं माध्यमिक शालाओं का संचालन करना।

महिलाओं एवं बालकों के लिये उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, व्यावसायिक शिक्षा, कम्प्यूटर शिक्षा एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षण आदि के साथ—साथ विद्यार्थियों को केरियर गाइडेन्स एवं व्यक्तित्व विकास के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना एवं छात्र छात्राओं के लिये छात्रावास सुविधा उपलब्ध कराना।

४. बुनियादी, प्रशिक्षण (बीटी.आई.), बेचलर ऑफ एजुकेशन (बी.एड) बेचलर ऑफ बिजनेस मेनेजमंट (बी.बी.ए) मास्टर ऑफ बिजनेस मेनेजमेंट (एम.बी.ए.) विद्यालयों का संचालन करना।

५— मूक बधिर एवं मंद बुद्धी बालकों के लिए शिक्षा एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करना साथ ही व्यसन मुक्ति आदि का प्रचार प्रसार करना।

५. ज्ञानोदय शिक्षा समिति के निम्न लिखित श्रेणी के सदस्य होंगे:—

(अ) आजीवन सदस्य:— जो व्यक्ति संस्था को दान के रूप में १०१/— रूपया या अधिक देकर वह आजीवन सदस्य बन सकता है।

(ब) साधारण सदस्य:— जो व्यक्ति रूपये प्रति माह ११/— प्रतिवर्ष संस्था को चंदे के रूप में देगा वह साधारण सदस्य होगा। साधारण सदस्य केवल उसी अवधि के लिए सदस्य होगा जिसके लिये उसने चन्दा दिया है। है जो साधारण सदस्य बिना संतोषजनक कारणों के छह माह तक देय चंदे की राशि नहीं देगा उसकी सदस्यता समाप्त हो जावेगी, ऐसे सदस्य द्वारा संस्था के लिए नया आवेदन पत्र देने तथा बकाया चंदे की राशि देने पर पुन: सदस्य बनाया जा सकेगा।

कोषाध्यक्ष   सचिव   अध्यक्ष

19/05/26
Principal
Gyanodaya International School
Kanawati, Neemuch (M.P.)

६ <u>ज्ञानोदय शिक्षा समिति की सदस्यता की प्राप्ति</u> :–प्रत्येक व्यक्ति जो कि समिति का सदस्य बनने का इच्छुक हो लिखित रूप से आवेदन करना होगा। ऐसा आवेदन पत्र प्रबंधकारिणी समिति को प्रस्तुत होगा जिसके आवेदक पत्र को स्वीकार करना या अमान्य करने का अधिकार होगा।

७. <u>ज्ञानोदय शिक्षा समिति के सदस्यों की योग्यता</u>:–संस्था का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति मे निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक है।

१– आयु १८ वर्ष से कम न हो।
२– भारतीय नागरिक हो।
३– समिति के नियमो का पालन करने की प्रतिज्ञा की हो।
४– सद्चरित्र हो तथा मद्यपान न करता हो।

८ <u>ज्ञानोदय शिक्षा समिति के सदस्यता की समाप्ति</u>:–

मृत्यू हो जाने पर।

पागल हो जाने पर ।

संस्था को देय चंदे की रकम नियम ५ मे बताये अनुसार जमा न करने पर।

४. त्यागपत्र देने पर । और वह स्वीकार होने पर।

५. चारित्रीक दोष होने पर और कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार निकाल दिया जाने पर जिसके निर्णय पारित होने की सूचना सदस्य को लिखित रूप मे देना होगी।

६. समिति की लगातार ३ बैठक में अनुपस्थित रहने पर।

९ <u>संस्था कार्यालय मे सदस्य पंजी रखी जावेगी। जिसमें निम्न ब्यौरे दर्ज किये जावेंगे।</u>

१. प्रत्येक सदस्य का नाम व पता तथा व्यवसाय।

२ वह तारीख जिससे सदस्य को प्रवेश दिया गया हो व रसीद नम्बर।

३. वह तारीख जिससे सदस्यता समाप्त हुई हो।

१० <u>ज्ञानोदय शिक्षा समिति की साधारण सभा</u>:–

(अ) साधारण सभा में नियम ५ में दर्शाये श्रेणी के सदस्य समावेशीत होंगे। साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेगी। परन्तु वर्ष मे एकबार अनिवार्य होगी। बैठक का माह

कोषाध्यक्ष सचिव अध्यक्ष

19/05/26
Principal
Gyanodaya International School
Kanawati, Neemuch (M.P.)

तथा बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी समिति निश्चित कर १५ दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को सूचना दी जावेगी। बैठक का कोरम ३/५ सदस्यो का होगा। संस्था की प्रथम आम सभा पंजीयन दिनाक से ३ माह के भीतर बुलाई जावेगी। उसमें संस्था के पदाधिकारियों का विधिवत निर्वाचन किया जावेगा। यदि संबंधित आम सभा का आयोजन किसी समय नही किया जाता है तो पंजीयक को अधिकार होगा कि वह संस्था की आम सभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन में पदाधिकारीयो का विधिवत चुनाव करवाया जावेगा।

(ब) ज्ञानोदय शिक्षा समिति की प्रबंधकारिणी सभा:—प्रबंधकारिणी सभा की बैठक प्रत्येक माह में होगी, तथा बैठक का एजेण्डा तथा सूचना बैठक दिनाक से ७ दिन के पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजी जाना आवश्यक होगा। बैठक का कोरम १/२ सदस्यों का होगा यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता तो बैठक एक घंटे के लिए स्थगित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी। जिसके लिए कोरम की कोई शर्त नहीं होगी।

(स) विशेष—यदि कम से कम संस्था कुल संख्या (कुल सदस्यों की संख्या का २/३ सदस्यो का लिखित रूप से बैठक बुलाने हेतु आवेदन करें तो उनके दर्शाये विषय पर विचार करने के लिए साधारण सभा की बैठक बुलाई जावेगी, किंतु संकल्प पारित हो जाने पर संकल्प की प्रति बैठक पंजीयक को संकल्प पारित हो जाने के दिनाक से १४ दिन के भीतर भेजी जावेगी। पंजीयक को इस संबंध में आवशयक निर्देश जारी करने तथा समिति को परामर्श देने का अधिकार होगा।

११ ज्ञानोदय शिक्षा समिति की साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य—

(क) संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना।
(ख) संस्था की स्थायी निधि व सम्पत्ति की ठीक व्यवस्था करना।
(ग) आगामी वर्ष के लिए लेखा परीक्षको की नियुक्ति करना।
(घ) अन्य ऐसे विषयो पर विचार करना जो प्रबंधकारिणी द्वारा प्रस्तुत हो।
(च) संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं के आय—व्यय पत्रकों को स्वीकृत करना।
(छ) बजट का अनुमोदन करना।

१२ ज्ञानोदय शिक्षा समिति की प्रबंधकारिणी का गठन— ट्रस्टीज यदि कोई हो तो समिति के पदेन सदस्य होंगे, नियम ५ (अ)(ब)(स) में दर्शाये गये सदस्यों जिनके नाम पंजी रजिस्टर में दर्ज हो बैठक में बहुमत के आधार पर निम्नांकित पदाधिकारियों तथा प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन होगा।

अ— अध्यक्ष ब— उपाध्यक्ष
स— सचिव द— संयुक्त सचिव।
इ— कोषाध्यक्ष एवं सदस्य

कोषाध्यक्ष सचिव अध्यक्ष

19/05/86

Gyanodaya International School
Kanawati, Neemuch (M.P.)

१३ ज्ञानोदय शिक्षा समिति की प्रबंध समिति का कार्यकाल --प्रबंध समिति का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। समिति को यथेष्ट कारण होने पर उस समय तक जब तक कि, नई प्रबंधकारिणी का निर्माण नियमानुसार या अन्य कारण से नही हो जाता प्रबंध करती रहेगी। किन्तु उक्त अवधि ६ माह से अधिक नहीं होगी जिसका अनुमोदन साधारण ०सभा से कराना अनिवार्य होगा।

१४ प्रबंधकारिणी के अधिकार व कर्तव्य--

अ-- जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतू समिति का गठन हुआ है। उसकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेतू व्यवस्था करना।

पिछले वर्ष का आय व्यय का लेखा पूर्णत: परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रतिवर्ष साधारण सभा की बैठक मे प्रस्तुत करना।

समिति एवं उसके अधिन संचालित संस्थाओ के कर्मचारियो के वेतन तथा भत्ते का भुगतान करना। संस्था की चल अचल संपत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना।

कर्मचारियो शिक्षको आदि की नियुक्ति करना।

इ-- अन्य आवश्यक कार्य करना जो साधारण सभा द्वारा समय समय पर सौपे जाए।

च-- संस्था की समस्त चल-- अचल सम्पत्ति, कार्यकारिणी समिति के नाम से रहेगी।

छ-- संस्था द्वारा कोई भी स्थावर संपत्ति रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा या अन्यथा अर्जित या अन्तरित नहीं की जावेगी।

ज-- विशेष बैठक आमन्त्रित कर संस्था के विधान मे संशोधन किये जाने के प्रस्ताव पर विचार-- विमर्श कर साधारण सभा की विशेष बैठक में उसकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी। साधारण सभा में कुल सदस्यों २/३ मत से संशोधित पारित होने पर उक्त प्रस्ताव पारित कर पजीयक को अनुमोदन हेतु भेजा जावेगा।

१५ ज्ञानोदय शिक्षा समिति की अध्यक्ष के अधिकार --अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबंधकारिणी समिति की समस्त बैठको की अध्यक्षता करेगा तथा मंत्री द्वारा साधारण सभा में प्रबंधकारिणी की बैठको का आयोजन करवायेगा। अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषय मे निर्णयात्मक होगा।

१६ उपाध्यक्ष के अधिकार -- अध्यक्ष की अनुपस्थिति मे उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का उपयोग करेगा।

१७ सचिव (मंत्री) के अधिकार --

(१) साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की बैठक समय समय पर बुलाना और समस्त आवेदन पत्र तथा सुझाव जो प्राप्त हो प्रस्तुत करना।

(२) समिति की आय व्यय का लेखा परीक्षण से प्रतिवेदन तैयार करके साधारण, सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना।

कोषाध्यक्ष सचिव अध्यक्ष

Principal
Gyanodaya International School
Kanawati, Neemuch (M.P.)

(३) समिति के सारे कागजातो को तैयार करना तथा करवाना। उनका निरीक्षण करना व अनियमितता पाये जाने पर उसकी सूचना प्रबंध कारिणी को देना।

(४) सचिव को किसी कार्य के लिए एक समय में रूपये १००/—व्यय करने का अधिकार होगा।

(५) सचिव की अनुपस्थिति मे सचिव के समस्त अधिकार संयुक्त सचिव को होगे।

१८ कोषाध्यक्ष के अधिकार — समिति की धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना तथा सचिव या कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत व्यय करना।

१९ ज्ञानोदय शिक्षा समिति का बैंक खाता —संस्था की समस्त निधी स्टेट बैंक ऑफ, इन्दौर में रहेगी। धन का आहरण अध्यक्ष या मंत्री तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरो से होगा। दैनिक व्यय हेतु कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम रूपये १००/— रहेंगे।

२० पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी —अधिनियम की धारा २७ के अंतर्गत संस्था की वार्षिक आमसभा होने के दिनाक से १४ दिन के भीतर निर्धारित प्रारूप पर कार्यकारिणी समिति की सूची फाईल की जावेगी। तथा धारा २८ के अंतर्गत संस्था की परीक्षीत लेखा भेजी जावेगी।

२१ संशोधन — संस्था के विधान मे संशोधन साधारण सभा की बैठक में कुल सदस्यों के २/३ मतो से पारित होगा। यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित में उसे पंजीकृत विधान मे संशोधन करने का अधिकार पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाए को होगा। जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा।

२२ विघटन :—संस्था का विघटन साधारण सभा में कुल सदस्यों के ३/५ मत से पारित किया जावेगा। विघटन के पश्चात संस्था की चल अचल संपत्ति किसी समान उद्देश्य वाली संस्था को सौप दी जावेगा। उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार की जावेगी।

२३ संपत्ति:— संस्था की समस्त चल अचल संपत्ति संस्था के नाम से रहेगी। संस्था की चल अचल संपत्ति (स्थावर) रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाए की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा दान द्वारा या अन्यथा प्रकार से अर्जित या अंतरित नही की जा सकेगी।

२४ बैंक खाता:—संस्था की समस्त निधि स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर, रहेगी एवं समय—समय पर धन जमा करने एवं निकालने की प्रक्रिया जारी रहेगी।

२५ पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना:—संस्था की पंजीयत नियमानवली के अनुसार पदाधिकारियों द्वारा वार्षिक बैठक न बुलाये जाने पर अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाए को बैठक बुलाने का अधिकार होगा। साथ ही वह बैठक में विचारार्थ विषय निश्चित कर सकेगा।

२६ विवाद:—संस्था मे किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा की अनुमति से सुलझाने का अधिकार होगा। यदि इस निश्चय या निर्णय से पक्षो को संतोष न हो तो वह रजिस्ट्रार की ओर विवाद के निर्णय के लिए भेज सकेंगे रजिस्ट्रार का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा। संचालित सभाओं के विवाद अथवा प्रबन्ध समिति के विवाद उत्पन्न होने पर अंतिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्ट्रार को होगा।

कोषाध्यक्ष सचिव अध्यक्ष

पंजीयन क्र. 19192 दि. 23-12-87 पुंजीयन
नियमावली की प्रमाणित प्रतिलिपि दि. 18-5

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स एवं संस्थाएं

19/05/26
Principal
Gyanodaya International School
Kanawati, Neemuch (M.P.)

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मंत्रालय

वल्लभ भवन, भोपाल

================

एफ क्रमांक 6-309/सात/नजूल/96 भोपाल, दिनांक:

प्रति,

कलेक्टर,
जिला - नीमच,
म0प्र0

विषय:- ज्ञानोदय शिक्षण समिति, नीमच को भूमि का आबंटन ।

राज्य शासन, ग्राम कनावटी तहसील नीमच जिला नीमच की खसरा नं. 23/1 एवं 23/2 में से 2.254 हेक्टर भूमि बिना प्रब्याजि किन्तु वार्षिक भू-भाटक रूपये 4853/-- (रू. चार हजार आठ सौ तिरपन) लेकर ज्ञानोदय शिक्षण समिति, नीमच को शैक्षणिक प्रयोजन हेतु सामान्य शर्तों के साथ-साथ निम्न विशेष शर्तों पर स्थाई पट्टे पर आबंटन की स्वीकृति प्रदान करता है:-

(1) यह कि यदि दी गई भूमि या उसका कोई भी भाग या उस पर निर्मित भवन अथवा उसका कोई भी भाग उस विशिष्ट प्रयोजन या प्रयोजनों को छोड़ जिसके लिये दी गई हो, किसी अन्य प्रयोजनों के लिये उपयोग में लाई जाए तो शासन उसे बिना कोई नोटिस दिये वापस ले लेगा ।

(2) भूमि जिस प्रयोजन हेतु दी गई हो उसका अन्य प्रयोजनों हेतु उपयोग किये जाने से अनाधिकृत कब्जेदार मानकर भूमि शासन में निहित कर ली जायेगी या भूमि का पूर्ण बाजार मूल्य देय पेनल्टी आदि के साथ लिया जायेगा ।

(3) भूमि के किसी भी उपयोग या उस पर किसी भी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां, अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित स्थानीय संस्थाओं नगर निगम, नगर तथा ग्राम निवेश आदि से लेनी होगी तथा मास्टर प्लान व पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आदि का पूर्ण पालन किया जायेगा ।

(5) आदेश जारी होने की तिथि से आवेदक/संस्था से प्रब्याजि की सम्पूर्ण राशि व भू-भाटक की राशि छः माह के अन्दर जमा करायें, यदि वे निर्धारित अवधि तक प्रब्याजि व भू-भाटक जमा नहीं करते हैं तो आबंटन आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा ।

.....2

9/05/26

Principal
Gyanodaya International School
Kanawati, Neemuch (M.P.)

11 2 11

2/ यह स्वीकृति वित्त विभाग के पृ0क्र0 108/R-320/[illegible]/2000 दिनांक 5-5-2000 द्वारा महालेखाकार, म0प्र0ग्वालियर को पृष्ठांकित की गई है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

sd/-

(के0 एस0 दुबे)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पृ0क्र0एफ0 6-309/96/सात/नजूल

भोपाल, दिनांक: 11/2/2000
1-3-2000

प्रतिलिपि :-

(1) तीन अतिरिक्त प्रतियों सहित सचिव, म0प्र0शासन, वित्त विभाग, भोपाल को ओर आदेश की प्रति महालेखाकार, म0प्र0 ग्वालियर को पृष्ठांकित करने हेतु अग्रेषित ।

(2) आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

(3) श्री अनिल चोरडिया, सचिव, ज्ञानोदय शिक्षण समिति, 32, लक्ष्मीबाई मार्ग, नीमच की ओर सूचनार्थ ।

[illegible] 11/1/2000

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

/वर्मा/1102//

19/05/26

Principal
Gyanodaya International School
Kanawati, Neemuch (M.P.)

कार्यालय कलेक्टर जिला-नीमच (मध्यप्रदेश)
= = = = = = = = = = = = = = = =

क्रमांक/ ------- / भूअ/2000 नीमच, दिनांक: / 3/2000

प्रति,

तहसीलदार,
नीमच

विषय: ज्ञानोदय शिक्षण समिति नीमच को ग्राम कनावटी के सर्वे क्रमांक 23/1 व 23/2 में से रकबा-2.254 हेक्टर भूमि का कब्जा प्रदान करने बाबत् ।

संदर्भ: म.प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-6-309/सात/नजूल/96 भोपाल दिनांक 11.2.2000/7.3.2000

-0-0-0-

विषयान्तर्गत संदर्भित आदेश से आवेदित संस्था ज्ञानोदय शिक्षण समिति नीमच को ग्राम कनावटी के सर्वे क्रमांक 23/1 एवं 23/2 में से रकबा 2.254 हेक्टर भूमि बगैर प्रब्याजी किंतु रुपये 6,853/- के वार्षिक भू-भाटक पर आवंटित की है । आवेदक द्वारा शासनादेश अन्तर्गत वार्षिक भू-भाटक का 10 गुना पंजीकृत मूल्य जमा करवाकर पेश करने हेतु भू-भाटक जमा करने हेतु मुक्ति प्राप्त कर ली है ।

अतः विषयांकित भूमि का कब्जा आवेदित संस्था को प्रदान करें, तथा आदेश के पालन में अभिलेख में अमलकर संशोधित खसरा-नक्शा प्रति एवं दो प्रति में कब्जा रसीद इस कार्यालय को शीघ्र प्रस्तुत करें ।

संलग्न: , संदर्भित आदेश की फोटोप्रति
पटवारी रिकार्ड हेतु ।

प्रभारी अधिकारी,
वास्ते/-कलेक्टर, जिला-नीमच

पृ.क्र. / 20 / नजूल/2000 नीमच, दिनांक: 25/3/2000

प्रतिलिपि:-

सचिव, ज्ञानोदय शिक्षण समिति नीमच की ओर भेजकर लेख है कि आप तहसीलदार नीमच से सम्पर्क कर भूमि का कब्जा प्रदान करें ।

प्रभारी अधिकारी,
वास्ते/-कलेक्टर, जिला-नीमच

19/05/26
Principal
Gyanodaya International School
Kanawati, Neemuch (M.P.)